28/2022 जूंझाराम बनाम तह० कल्याणपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी थी। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति की पुश्तैनी भूमि ग्राम- रानीदेशीपुरा तहसील कल्याणपुर की खेत संख्या नम्बर 32 व 255/147 कुल रकबा 121.03 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है, जिसमें वादी संख्या 01 के पिता व वादीनी संख्या 02 के पति का 4/15 हिस्सा है। उक्त भूमि भगाराम को उनके पिता मफाराम के फौत होने पर फौतदगी नामा.नम्बर 5912 होने के बाद विरासत में प्राप्त हुई थी। वादीगण के पिता/पति भगाराम वर्ष 1990 में घर वालों को बिना बताए घर से निकल गए थे। जिनका बहुत पता करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा - काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि वादी पक्ष की ओर से गवाही व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह साबित किया है कि वादीगण के पिता/पति भगा उर्फ भगाराम लापता हुए	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	लगभग 35 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है इस कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के हकदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में भगाराम के नाम अंकित 4/15 हिस्सा को हटाया जाकर वादीगण को खातेदारी घोषित की जावें।	
	हमने वकील वादीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बयानात का गंभीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया की ग्राम - रानीपा-देशीपुरा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा नम्बर 32 व 255/147 कुल रकबा 121.03 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है। जिसमें 4/15 हिस्सा भगाराम पुत्र भभूता का संयुक्त - खातेदारी भूमि में अंकित है। वादीगण का मुख्य तर्क है, कि भगा उर्फ भगाराम जो वर्ष 1990 में घर वालो को बिना बताए चले गए थे, इतने वर्षों तक नहीं मिलने के कारण लापता होने के कारण वादीगण वारिस होने से वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अनुरोध किया गया है। जो ~~कि~~ तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वादीगण के पिता/पति ~~a~~ भगाराम उर्फ भगाराम की मृत्यु सिविल न्यायालय से सिविल डेथ प्रमाण-पत्र	
	सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

...ख ...प	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जारी करवाए बिना राजस्व न्यायालय किसी की खातेदारी समाप्त कर खातेदार घोषित नहीं कर सकता है। इसके लिए सक्षम सिविल कोर्ट का उद्घोषणा करवाना आवश्यक होता है. उसके अभाव के कारण वादीगण राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। वादी पक्ष की ओर से [illegible] ने बयानात में मगा उर्फ मगराज के वर्ष 1990 से घर से बिना बताए लापता होना बताया है, लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए गए है। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा वादीगण का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। सक्षम न्यायालय से सिविल डेथ उद्घोषणा प्राप्त करने के बाद नया वाद पेश करने हेतु वादीगण स्वतंत्र रहेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 28/2022

टी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/131

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1.लूणाराम पुत्र भगा उर्फ मगाराम
2.लासोदेवी पत्नि भगा उर्फ मगाराम
जाति चौधरी निवासी रणियादेशीपुरा
तहसील कल्याणुर जिला बालोतरा

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 28/2022

निर्णय दिनांक :–23.12.2025

वादीगण की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अनुपस्थित, इस वाद में आज तारीख 23.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। सक्षम न्यायालय से सिविल डेथ उदघोष प्राप्त करने के बाद नया वाद लाने हेतु वादीगण स्वतंत्र रहेगे।

यह आज तारीख 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर न्यायालय (S.D.O.) बालोतरा

23/12/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —— ——	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ————
जोड़	—	जोड़	———

23/12/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा